भारत सरकार
गृह मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 458
दिनांक 04 फरवरी, 2025/ 15 माघ, 1946 (शक) को उत्तर के लिए

पुनर्वास आवासों का मालिकाना हक

†458. श्री मनीश तिवारीः

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) चंडीगढ़ में वर्ष 1980 से अब तक विभिन्न पुनर्वास योजनाओं के अंतर्गत निर्मित आवासों की वर्षवार कुल संख्या कितनी है;
(ख) क्या केन्द्र सरकार को चंडीगढ़ में विभिन्न पुनर्वास योजनाओं के अंतर्गत मकानों के स्वामित्व अधिकारों का पता लगाने के लिए चंडीगढ़ के संपदा कार्यालय द्वारा कराए गए किसी सर्वेक्षण की जानकारी है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;
(ग) क्या केन्द्र सरकार की चंडीगढ़ में पुनर्वास आवासों के आबंटियों को स्वामित्व अधिकार प्रदान करने की योजना है;
(घ) यदि हां, तो क्या सरकार चंडीगढ़ में जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी के माध्यम से संपत्ति को लीज होल्ड से फ्रीहोल्ड में परिवर्तित करने पर लगे प्रतिबंध को भी हटाने की योजना बना रही है; और
(ङ) यदि नहीं, तो पुनर्वास आवासों के आबंटियों को मालिकाना हक नहीं देने के क्या कारण हैं?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री नित्यानंद राय)

(क) से (ङ) 1980 से अब तक चंडीगढ़ में विभिन्न पुनर्वास योजनाओं के अंतर्गत निर्मित घरों की कुल संख्या 34965 है। वर्षवार विवरण अनुलग्नक-। पर है।

इन घरों को समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को मासिक लाइसेंस शुल्क या लीजहोल्ड आधार पर आवंटित किया गया था। इन पुनर्वास योजनाओं में स्वामित्व अधिकार प्रदान करने का कोई प्रावधान नहीं है।

*****

<u>लोक सभा अता.प्र.सं. 458 दिनांक 04.02.2025</u>

अनुलग्नक- I

1980 से अब तक चंडीगढ़ में विभिन्न पुनर्वास योजनाओं के अंतर्गत चंडीगढ़ में निर्मित घरों का वर्षवार विवरण

क्रम संख्या	वर्ष	निर्मित घर
1.	1980-81	2560
2.	1982-83	996
3.	1984-85	110
4.	1985-86	95
5.	1986-87	1102
6.	1987-88	600
7.	1988-89	2716
8.	1989-90	227
9.	1991-92	750
10.	1992-93	6161
11.	1993-94	43
12.	1994-95	5
13.	2001-02	512
14.	2002-03	544
15.	2004-05	240
16.	2005-06	608
17.	2009-10	512
18.	2010-11	11616
19.	2013-14	608
20.	2018-19	4960
	कुल	34965

****